

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना

प्राप्त गैर वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना इस प्रकार है:-

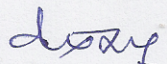
क्षेत्रफल 6.6035 है.

अवधि वृक्षारोपण वर्ष + 12 वर्ष तक संधारण

प्रजातियां चूँकि यहाँ की जलवायु कांटेदार प्रजातियों के लिए उपयुक्त है अतः मुख्य रूप से बबूल के पौधे लगाये जायेगे। अन्य प्रजातियों में नीम, पलास के पौधे भी रोपित किये जायेगे।

लागत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.8.2015 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए प्रति हैक्टर की लागत 145925/- रु. रखी गयी है। इस अनुसार 6.6035 है० की राशि 963616/- होगी।

मॉडल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल दिनांक 12.8.2015 की प्रति संलग्न है।


(बी.पी.पारीक)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा